बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

: : सं क ल्प : :

पटना, दिनांक 07/7/2026

विषय : 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बेसिक एवं निष्पादन अनुदान कुल ₹51923.00 करोड़ (इक्कावन हजार नौ सौ तेईस करोड़ रूपये) मात्र की अनुदान की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण, उपयोग, क्रियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 के लिए लागू है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 6(1)/FCD/2026-31 दिनांक 21.05.2026 द्वारा आयोग की सिफारिशों पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल ₹51923.00 करोड़ (इक्यावन हजार नौ सौ तेईस करोड़ रूपये) मात्र की अनुदान की राशि अनुशंसित है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों के संसाधनों में सहायता हेतु किया जाना है। मुख्य प्रावधान निम्नवत् है :–

i ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 80 प्रतिशत बेसिक अनुदान रहेगा। जिसका 50 प्रतिशत राशि Tied (संबद्ध) रहेगा, जिसका उपयोग स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा जल प्रबंधन में किया जायेगा। इस मद के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप Flexibility उपलब्ध रहेगी

तथा संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में भी व्यय किया जा सकेगा।

ii ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले बेसिक अनुदान का 50 प्रतिशत राशि Untied (अनाबद्ध) रहेगा, जिसका उपयोग उनके द्वारा वेतन एवं अन्य स्थापना लागतों के अलावा, ग्यारहवी अनुसूची में उनतीस विषयों के तहत आने वाले कार्यो को निष्पादित करने मे महसूस की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तथापि बाहय एजेंसियों द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, जिससे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, को इस अनुदान से खर्च किया जा सकता है।

iii ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 20 प्रतिशत निष्पादन अनुदान रहेगा। स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने तथा राज्यों द्वारा संवैधानिक दायित्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के उदेश्य से निष्पादन अनुदान प्रदान किया जायेगा। ग्राम पंचायतों को कराधान एवं उपयोगकर्त्ता शुल्क (Levying user charges) संग्रहण की शक्ति प्राप्त है। अतः न्यूनतम स्तर की स्वस्त्रोत राजस्व (Own Source Revenue-OSR) प्राप्ति सुनिश्चित करने पर ही स्थानीय निकाय इस अनुदान के पात्र होगें। स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के आधार पर ही निष्पादन अनुदान प्रदान किया जायेगा।

यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, और उस प्रयोजन के लिए उसे निधियों की आवश्यकता नहीं है, तो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के तहत आने वाले कार्यो के लिए कर सकता है।

उक्त के आलोक में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निम्नरूपेण राशि प्राप्त हो सकेगी :–

(Rs in crore)

S. No	Grant for PRIs			Financial Year 2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	Total
1	2			3	4	5	6	7	8
1	Basic Grant (80%)	Tied (50%)	Sanitation and Solid Waste Management and/or 'Water Management' Flexibility is available Within this component for RLBs to address their needs, including O&M expenditures for the aforesaid tied items.	3335.00	3702.00	4109.00	4561.00	5062.50	**20769.50**
		Untied (50%)	It is who be utilised by RLBs under the twenty-nine subjects enshrined in the Eleventh Schedule of the Constitution.	3335.00	3702.00	4109.00	4561.00	5062.50	**20769.50**
		Total		**6670.00**	**7404.00**	**8218.00**	**9122.00**	**10125.00**	**41539.00**
2	Perfomance Grant (20%)	RLB		0.00	0.00	1554.00	1725.00	1913.00	**5192.00**
		STATE		0.00	1102.00	1223.00	1358.00	1509.00	**5192.00**
		TOTAL		**0.00**	**1102.00**	**2777.00**	**3083.0**	**3422.00**	**10384.00**
Grand Total				**6670.00**	**8506.00**	**10995.00**	**12205.00**	**13547.00**	**51923.00**
उपरोक्त बेसिक अनुदान (Tied एवं Unied अनुदान) दो–दो किस्तों में तथा निष्पादन अनुदान एकल किस्त में भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये जाने की अनुशंसा है।									

2. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली बेसिक एवं निष्पादन अनुदानों को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण के संबंध में यह निदेश है कि यदि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा निम्न अधिसीमा के अनुसार अनुदानों की राशि का वितरण किया जाना है:–

क्र०	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
1.	80	10	10

3. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकाय अंतर्गत एक विशेष स्तर के लिए अनुदान वितरण नवीनतम् स्वीकृत राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होगा अथवा राज्य वित्त आयोग के सिफारिश के अभाव में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90 :10 के अनुपात में होगा।

4. 16वें वित्त आयोग के मूल घटक का 50% संबद्ध (Tied) घटक को स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए तथा शेष 50% को अनाबद्ध (Untied) के लिए अनुशंसित है।

5. किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव पर अनाबद्ध (Untied) अनुदान के 20% की अधिसीमा अंतर्गत ही व्यय करने का प्रावधान किया गया है। अनाबद्ध (Untied) अनुदान का उपयोग वेतन एवं स्थापना संबंधी व्यय के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा।

6. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा Tied एवं Untied अनुदानों के तहत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रस्ताव पारित करेगी। पंचायत समिति और जिला परिषद् भी इसी तरह प्रस्ताव पारित करेगी।

7. **अनुदान जारी करने की शर्तें:–**

(i) बेसिक अनुदान जारी करने के लिए निम्नांकित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :–

a) संविधान के भाग ix के अनुसार विधिवत् गठित स्थानीय निकाय का होना अनिवार्य है। हालांकि, यह शर्त उन क्षेत्रों में स्थित स्थानीय जनजातीय निकायों/ग्रामीण स्थानीय निकायों/स्थानीय जनजातीय निकायों पर लागू नहीं होगी जहां संविधान का भाग ix लागू नहीं होता है।

b) वित्तीय वर्ष 'T' (जिस वर्ष के लिए अनुदान की अनुशंसा की गई है) में, राज्य के सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तीय वर्ष T-1 (पिछले वर्ष) के औपबंधिक लेखा और वित्तीय वर्ष T-2 (पिछले से पिछले वर्ष) के अंकेक्षित लेखा सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए।

यह शर्त अनुदान अवधि के पहले वर्ष से ही लागू होगी। यदि केवल कुछ ही ग्रामीण स्थानीय निकाय

इस शर्त को पूरा करते हैं, तो शर्त्त को पूरा करने वाले ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए।

c) राज्य पिछले राज्य वित्त आयोग के गठन से पाँच वर्ष की समाप्ति पर नए राज्य वित्त आयोग के गठन के संवैधानिक प्रावधान का पालन करना चाहिए। कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) को राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छह महीने के अंदर राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) ग्रामीण स्थानीय निकाय निष्पादन घटक अनुदान (Rural Local Bodies Performance Grant) जारी करने के लिए निम्नांकित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :–

a) ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष T के लिए वर्ष T-1 में वर्ष T-2 के OSR का न्यूनतम 1.025 गुणा या 2025–26 के OSR पर 2.5% चक्रवृद्धि वृद्धि, जो भी कम हो एकत्र करेंगे बशर्त्ते प्रति परिवार प्रति वर्ष न्यूनतम ₹1200 की राशि संग्रहित हो सके।

b) पंचायत समिति निष्पादन घटक के लिए तभी पात्र होगी, जब उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतें निष्पादन अनुदान के लिए पात्र होंगे।

c) जिला परिषद् वर्ष T में ग्रामीण स्थानीय निकाय निष्पादन घटक के पात्रता हेतु वर्ष T-1 में वर्ष T-2 में OSR का न्यूनतम 1.025 गुणा अथवा 2025–26 के OSR पर 2.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि जो भी कम हो एकत्र करें।

(iii) राज्य निष्पादन घटक अनुदान (State Performance Grant) जारी करने के लिए निम्नांकित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :–

a) 16वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के दूसरे वर्ष से राज्य निष्पादन घटक अनुदान को जारी करने की सिफारिश की है।

b) वर्ष T के पात्रता लिए वर्ष T-1 में राज्य अपने संसाधनों से 16वें वित्त आयोग के बेसिक अनुदान का 20% या उससे अधिक स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित करेगा।

c) राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को वैधानिक रूप से सौंपे एवं साझा किये गये राजस्व को इन हस्तांतरणों में शामिल किया जाना है।

d) राज्यों द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित कि गई धनराशि की गणना के लिए राज्यों को अपने–अपने कोषागारों को PFMS के साथ एकीकृत (Integrate) करना होगा।

8. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की राशि प्रत्येक वर्ष जून एवं अक्टूबर में दो किस्तों में विमुक्त किया जायेगा।

16वें वित्त आयोग की अनुशंसा में यह शर्त्त भी उल्लेखित है कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 10 दिनों के अन्दर ही हस्तानान्तरित कर दी जाये। राज्यों द्वारा 10 कार्य दिवसों के बाद किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के (interest rates as per the deffective rate of interest on

Market Borrowing/State Development Loans (SDL) for the previous year) अनुसार ब्याज सहित किस्त जारी करनी होगी।

9. **लेखांकन एवं लेखापरीक्षा :–**

i. सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों को Model Accounting System (MAS) का पालन करना होगा। सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों का बैंक खाते ई–ग्रामस्वराज पोर्टल से सम्बद्ध होगें। यह सुनिश्चित करना होगा की सभी वित्तीय लेनदेन (प्राप्ति एवं व्यय दोनों) ई–ग्रामस्वराज PFMS Interface के माध्यम से किये जायें। औपबंधिक वार्षिक लेखापरीक्षा पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से किया जायेगा। विभाग CAG के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में ऑडिट ऑनलाईन पोर्टल में विकसित Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत करेगा।

ii. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण स्थानीय निकाय के खातों में वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और स्वंय के स्त्रोतों सहित सभी स्त्रोंतो से प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाया जाना चाहिए।

10. **निष्पादन घटक अनुदान (Performance Grant) एवं Own Source of Revenue (OSR) Reporting के उपाय :–**

(i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उदेश्य से राज्यों को Own Source of Revenue (OSR) नियमावली अधिसूचित करने की अनिवार्यता होगी।

(ii) Own Source of Revenue (OSR) को ससमय प्रतिवेदित करने के लिए SAMARTH Portal को अपनाना होगा।

ऑनबोर्डिग प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूरी कि जानी है। सभी स्थानीय निकायों को अपनी वार्षिक राजस्व योजना SAMARTH Portal पर प्रतिवर्ष अपलोड करना होगा।

11. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि के व्यय की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

12. 16वें वित्त आयोग की वर्त्तमान अनुशंसा तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान की प्रत्येक किस्त की राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच वितरण एवं व्यय निम्नरूपेण किया जाना प्रस्तावित हैः–

(i) 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के प्राप्त होने वाली अनुदानों को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच अद्यतन राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुरूप राशि का वितरण किया जा सकेगा।

(ii) 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के बीच राशि का क्षैतिज वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के भारांक (Weightage) के आधार क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा, परंतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होने कि स्थिति में जनसंख्या को 100 प्रतिशत भारांक (Weightage) रखते हुए क्षैतिज वितरण किया जा सकेगा।

(iii) राशि के उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा। बिहार राज्य की आवश्यकता के मद्देनजर 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान का उपयोग निम्नरूपेण प्राथमिकता क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा :–

PRIs	**प्रस्तावित गतिविधियाँ**		
	Untied Grant (50 प्रतिशत)	**Tied Grant (25 प्रतिशत)** स्वच्छता एवं खुले में शौचमुक्त (ODF) Status के सतत रख–रखाव हेतु	**Tied Grant (25 प्रतिशत)** पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं Water Recycling
ग्राम पंचायत	1. सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन एवं अनुरक्षण। 2. विवाह मंडप का निर्माण। 3. पंचायत सरकार भवनों के लिए सोलर पैनल का अधिष्ठापन। 4. नल–जल के लिए सोलर पैनल का अधिष्ठापन। 5. सोलर आधारित हाई मॉस्ट लाईट का अधिष्ठापन। 6. खेल के मैदान/उद्यानों /खुला जिम की व्यवस्था। 7. प्राथमिक विधालयों/	1. ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। 2. मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/मुक्तिधाम का निर्माण। 3. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत कर्मियों एवं अनुरक्षको का मानदेय। 4. स्वच्छता हेतु अवशेष गलियों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण।	1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु अनुरक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान। 2. नल–जल योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्युत विपत्र का भुगतान। 3. सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्वार। 4. छठ घाट का निर्माण। 5. छूटे हुए टौलों के लिए ग्रामीण

	आँगनबाडी केन्द्रों में कमरों/चहारदिवारी/सुविधाओं का विकास। 8. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह। 9. बस स्टैंड/ऑटो स्टैंड/यात्री शेड का निर्माण। 10. सामुदायिक भवन का निर्माण। 11. पंचायत सरकार भवन का अनुरक्षण/पंचायत सरकार भवन की चहारदिवारी। 12. पंचायत मे अवस्थित विद्यालय के चहारदिवारी का निर्माण। 13. ग्राम पंचायत भवनों/सामुदायिक भवनों में पुस्तकालय का निर्माण (Wifi सुविधा के साथ) 14. ग्राम पंचायत में एक प्रवेश द्वार। 15. राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित सैरातों का विकास। 16. CCTV कैमरों का अधिष्ठापन।	5. सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, स्वच्छता, रख–रखाव एवं फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण। 6. स्वच्छता हेतु सार्वजनिक जलोपयोग स्थानों पर सोख्ता का निर्माण। 7. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था। 8. FSTP Construction/ Faecal Sludge, Treatement Plant (मल अवशेष एवं कीचड़ उपचार संयंत्र) 9. Constructed Wetland Model Manual, Material Recovery Facility (MRF)	पेय जलापूर्ति योजना। 6. हर खेत को पानी देने के लिए पक्की सिंचाई नालियों का CADA से समन्वय कर निर्माण। 7. जलापूर्ति अनुरक्षकों का प्रशिक्षण। 8. Irrigation Channel Area /सिंचाई नालियों का निर्माण। 9. पंचायत स्तर पर एक एकड़ तक मछली पालन एवं मखाना की खेती हेतु तालाब का निर्माण। 10. ग्रामीण हाटों में नल जल जलापूर्ति की व्यवस्था अथवा Mark-4 चापाकल की व्यवस्था।

पंचायत समिति	1. सोलर आधारित हाई मॉस्ट लाईट का अधिष्ठापन। 2. पंचायत समिति में आधारभूत ढाँचे की वृद्धि। 3. बसावटों में PCC Roads 4. खेल के मैदान उद्यानों /खुला जिम की व्यवस्था। 5. सरकारी भवनों का चाहरदीवारी निर्माण। 6. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह 7. पंचायत समिति के हाटों में स्वच्छता एवं जलापूर्ति। 8. पंचायत समिति मे अवस्थित विद्यालय के चहारदिवारी का निर्माण। 9. सार्वजनिक स्थलों पर चबूतरों का निर्माण। 10. पंचायत समिति के हाटों/बाजारों में सुविधाएँ प्रदान करना/निर्माण करना। 11. मध्य विद्यालयों में कमरों का निर्माण एवं चहारदिवारी तथा खेल मैदान का निर्माण।	1. ठोस एंव तरल अवशिष्ट प्रबंधन। 2. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत कर्मियों एवं अनुरक्षको का मानदेय। 3. सामुदायिक शौचालय का निर्माण। 4. गलियों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण। 5. प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण। 6. अमृत सरोवर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। 7. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था। 8. पंचायत समिति के ग्रामीण हाटों में पक्कीकरण एवं स्वच्छता हेतु उपाय।	1. सिचाई क्षमता वृद्वि हेतु चैक डेम/आहर/पईन का निर्माण। 2. नदी के पुराने धार का पुर्नस्थापन कार्य (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय कर)। 3. एक से तीन (01—03) हेक्टेयर के जल संग्रहण क्षेत्रों का जिर्णोद्वार/निर्माण। 4. छठ घाट का निर्माण। 5. तालाबों (01—03 हेक्टेयर) का सौदर्यीकरण। 6. ग्रामीण हाटों में पेय जलापूर्ति। 7. सिंचाई नहर (Irrigation Channel) का निर्माण।

	12. पंचायत समिति भवन तथा विद्यालयों में सोलर पैनल अधिष्ठापन। 13. मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था। 14. राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित सैरातों का विकास। 15. CCTV कैमरों का अधिष्ठापन।		
जिला परिषद्	1. सोलर आधारित हाई मॉस्ट लाईट का अधिष्ठापन। 2. जिला परिषदों की भूमि का सीमांकन/चहार दीवारी निर्माण। 3. जिला परिषद् अस्पतालों में आधारभूत ढाँचा की वृद्धि। 4. सैरातों का विकास। 5. आयोत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण। 6. सरकारी भवनों का चाहरदीवारी निर्माण। 7. शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह। 8. बस स्टैंड/ऑटो स्टैंड/यात्री शेड का निर्माण।	1. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। 2. सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं देखभाल। 3. जिला परिषद् के हाटों में पक्कीकरण एवं स्वच्छता हेतु उपाय। 4. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत कर्मियों एवं अनुरक्षको का मानदेय।	1. सिचाई क्षमता वृद्धि हेतु चैक डेम/आहर/पईन का निर्माण। 2. नदी के पुराने धार का पुर्नस्थापन कार्य (जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग से समन्वय कर)। 3. तीन एकड़ से अधिक जल संग्रहण क्षेत्रों के सार्वजनिक तालाबों का जिर्णोद्धार/निर्माण। 4. छठ घाट का निर्माण।

	9. जिला परिषदीय सैरातों मे नये बाजार सैरात का निर्माण, सैरातों का पुननिर्माण सुविधाएँ प्रदान करना। 10. जिला पर्षद की सड़कों का पक्कीकरण। 11. हाटों की व्यवस्था। 12. राजस्व विभाग द्वारा स्थानान्तरित सैरातों का विकास। 13. जिला परिषद् भवन में सोलर पैनल का अधिष्ठापन। 14. CCTV कैमरों का अधिष्ठापन।		5. मछली पालन, मखाना की खेती, तालाबों का सौदर्यीकरण। 6. ग्रामीण हाटों में पेय जलापूर्ति। 7. पक्की नाली के रास्ते हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु नाला निर्माण (जल संसाधन विभाग से समन्वय कर)। 8. जिला परिषद् को स्थानांतरित पूर्व से बने सरकारी भवनों की मरम्मति। 9. जिला परिषद् की सड़कों का पक्कीकरण एवं नाली निर्माण। 10. जिला परिषद् के हाटों में स्वच्छ जलापूर्ति।

(iv) 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को समय–समय पर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिशा–निर्देश जारी किया जा सकेगा।

(v) 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की राशि को Controller General of Accounts (CGA), भारत सरकार PFMS Portal के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच वितरित किया जा सकेगा।

(vi) 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा में यह शर्त्त भी उल्लिखित है कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 10 दिनों के अन्दर ही हस्तानान्तरित कर दी जाये। 10 कार्य दिवसों के बाद किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को यह राशि पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर प्रभावी ब्याज दर से (interest rates as per the effective rate of interest on Market Borrowing/State Development Loans (SDL) for the previous year) भुगतान करना होगा। इन शर्तों के अनुपालन में स्वाभाविक रूप से काफी समय लगता है एवं 16वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देश के अनुरूप निर्धारित कालावधि में अनुदानों की राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026--27 से 2030–31 तक के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि के प्रत्येक किस्त की राशि के राजकोष में हस्तानान्तरण की सूचना मिलते ही पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को राशि हस्तानान्तरित करने हेतु अधिकृत होगा।

(vii) 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली बेसिक एवं निष्पादन अनुदान की राशि हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को ससमय अंकेक्षित लेखा (Audited Account) समर्पित किये जाने हेतु उक्त कंडिका–9 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना होगा।

13. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि का ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के बीच अद्यतन राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुरूप वितरण हेतु मांग संख्या 16 अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के निम्नाकिंत बजट शीर्ष के अन्तर्गत आवश्यक राशि का बजट उपबंध किया जायेगा :–

(क) ग्राम पंचायतों के लिए:

(i) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198– ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष 0001.31. 06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एंव विपत्र कोड–16–2515001980001

(ii) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0016–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड)। विषय शीर्ष–0016. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एंव विपत्र कोड–16–2515001980016

(ख) पंचायत समितियों के लिए:

(i) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–

ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष– 0001 –पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष 0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एंव विपत्र कोड–16–2515001970001

(ii) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0006–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड)। विषय शीर्ष 0006.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एंव विपत्र कोड–16–2515001970006

(ग) जिला परिषदों के लिए:

(i) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता –उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष 0003.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड–16–2515001960003

(ii) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196– जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0009–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड)। विषय शीर्ष 0009.31.06– सहायक अनुदान–गैर वेतन एवं विपत्र कोड–16–2515001960009

14. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे आवंटित राशि को

CFMS (Comprehensive Finance Management System) Portal के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खाता में अंतरित करायेंगे। साथ ही इसका Integration PFMS Portal के माध्यम से ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर किया जायेगा।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ ही होगी। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी अनुदान के सर्वोतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होंगी।

16. प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति का अनुमोदन संचिका संख्या 13प/16वें वि०आ०–01–01/2026 के पृष्ठ संख्या 18/टि० पर दिनांक 17.06.2026 को प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर संचिका संख्या 13प/16वें वि०आ०–01–01/2026 के पृष्ठ सं०–21/टि० पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.07.2026 के मद संख्या–10 मे अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 13प/16वें वि०आ०–01–01/2026/9994/पं०रा० पटना, दिनांक–07/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले०एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 13प / 16वें वि०आ०–01–01 / 2026 / 9994 / पं०रा० पटना, दिनांक– 07/7/26

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सचिव, वित्त विभाग / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / सचिव, शिक्षा विभाग / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग / सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 7/7/26
सचिव

ज्ञापांक : 13प / 16वें वि०आ०–01–01 / 2026 / 9994 / पं०रा० पटना, दिनांक– 07/7/26

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार अपने स्तर से इस संकल्प की प्रति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (सभी जिला परिषदो, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों) के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

(मनोज कुमार) 7/7/26
सचिव

ज्ञापांक : 13प / 16वें वि०आ०–01–01 / 2026 / 9994 / पं०रा० पटना, दिनांक– 07/7/2026

प्रतिलिपि : नामित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग / सभी प्रभारी पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 7/7/26
सचिव

ज्ञापांक : 13प / 16वें वि०आ०–01–01 / 2026 / 9994 / पं०रा० पटना, दिनांक– 07/7/2026

प्रतिलिपि : सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / सचिव, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लॉक संख्या–11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद् लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: 13प / 16वें वि०आ०–01–01 / 2026 / 9994 / पं०रा० पटना, दिनांक– 07/7/2026

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: 13प / 16वें वि०आ०–01–01 / 2026 / 9994 / पं०रा० पटना, दिनांक– 07/7/2026

प्रतिलिपि : आई० टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संबद्ध अलग फोल्डर पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार)
सचिव